FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0096 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/05/2024 11:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(c)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2004 **Date To (दिनांक तक):** 08/08/2016

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/05/2024 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/05/2024 11:24:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 38 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** RASISAR, NOKHA BIKANER

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PURNA RAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BHOMA RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1964 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	RASISAR, NOKHA BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	RASISAR, NOKHA BIKANER, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8094416518

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	BHERU LAL MANDA		पिता:PATRAM MANDA	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
2	RAM KISHAN		पिता:PATRAM VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
3	MADAN LAL		पिता:PATRAM VISHNOI	1. TALRIYA BAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
4	BHAWAR LAL		पिता:MAMRAJ MANDA	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
5	SHUBHAS		पिता:HAJARI RAM VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,

				RAJASTHAN,INDIA
6	BHAWAR LAL		पिता:BHIKHA RAM SUTHAR	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
7	SAHI RAM		पिता:HARNAM VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
8	SHREE RAM		पिता:RAMSHWROOP MANDA	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
9	HETRAM		पिता:MAMRAJ VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
10	AMAANARAM		पिता:SUGNARAM KUMHAR	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
11	CHUNNI RAM		पिता:BHAGIRATH VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
12	SAMPAT LAL		पिता:SHANKAR LAL VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
13	SHIV KARAN		पिता:BANWARI VISHNOI	1. PITHRASAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA N,INDIA
14	BHAGIRATH		पिता:GULA RAM VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
15	MADAN LAL		पिता:NANURAM VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
16	MANGI LAL		पिता:BHAGIRATH VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
17	EMMI LAL		पिता:RAM CHAND VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
18	JAGDISH		पिता:BIRBAL RAM	1. PUROHITO KA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
19	OMPRAKASH		पिता:BIRBAL RAM	1. RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA
20	BHAWAR LAL		पिता:JORARAM VISHNOI	1. BADA BAAS,RASISAR,NOKHA BIKANER,BIKANER,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,03,277.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,03,277.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि परिवादीगण श्री पूर्णाराम पुत्र श्री भोमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 60 वर्ष व श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामूराम, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासीगण गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर ने माननीय सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर में दिनांक 05.04.2016 को श्री भैरूलाल मण्डा पुत्र श्री पतराम मण्डा, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर व अन्य के विरूद्ध इस्तागासा प्रस्तुत किया कि - 1 यह कि प्रार्थीगण ग्राम रासीसर तहसील नोखा, जिला बीकानेर के स्थाई निवासी हैं। बरसों-बरसों से पीढ़ीयों से ग्राम रासीसर में निवास कर रहे हैं। ग्राम रासीसर के मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग 89 जो जोधपुर की तरफ जाता है की अगुणी दिशा में मेघवाल समाज का श्मशान है। जो लगभग गांव की स्थापना के समय से उसी स्थान पर है। लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से पीढी दर पीढी इसी स्थान पर प्रार्थीगण के बुजुर्गों को मिट्टी दी जाती है। प्रार्थीगण गांव के जागरूक नागरिक है। जन समस्याओं के प्रति जागरूक हैं। मेघवाल समाज से बिलोंग करते हैं। अभियुक्तगण भी गांव रासीसर के ही निवासी हैं अभियुक्त शिवकरण गांव पिथरासर का निवासी है तथा अभियुक्त संख्या 01 पूर्व में ग्राम पंचायत रासीसर का सरपंच रह चुका है। 2 यह कि ग्राम पंचायत रासीसर का सरपंच वर्ष 2004 में रहते हुए अभियुक्त संख्या 01 भैरूलाल मण्डा ने सांठ-गांठ करते हुए अभियुक्त रामकिशन जो सरपंच का सगा भाई है, अभियुक्त मदनलाल जो सरपंच के चाचा का लड़का भाई है, अभियुक्त भंवरलाल जो सरपंच का सगा काका है, अभियुक्त सुभाष जो सरपंच के सगे चाचे का बेटा भाई है, अभियुक्त सहीराम जो सरपंच के चाचे का बेटा भाई है, अभियुक्त हेतराम जो सरपंच के चाचे का बेटा भाई है, अभियुक्त हेतराम जो सरपंच का सगा काका है, अभियुक्त अमानाराम जो सरपंच का धर्म भाई है, अभियुक्त शिवकरण जो सरपंच की सगी बहन का लड़का है, अभियुक्त मदनलाल जो सरपंच का सगा चाचा का लड़का है, अभियुक्त इमीलाल सगा चाचा का लड़का भाई है, अभियुक्त जगदीश जो सरपंच का सगा चाचा का लड़का भाई है व शेष अभियुक्त के पक्ष में नियम विरूद्ध तरीके से नियमों को ताक पर रख कर निलामी से पट्टे जारी कर दिये, जो पट्टे पूर्ण रूप से नियम विरूद्ध तरीके से नीलामी की प्रक्रिया का दुरूपयोग करके अपने निकट लोगां को आवंटित कर दिये व सरकार को राजस्व की गम्भीर हानि पहुंचाई। अभियुक्त भैंरूलाल मण्डा जो उस वक्त ग्राम रासीसर का सरपंच था, उस सरपंच ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उल्लंघर कर ग्राम पंचायत रासीसर की खसरा नंबर 545 व खसरा नंबर 548 रकबा 0.23 व 0.53 हैक्टेयर किसम गैर मुमकिन ओरण में से 0.76 हैक्टेयर भूमि में नियम विरूद्ध रूप से अपने चहेते लोगों को उनसे मिलकर लाभार्थी के रूप में उक्त पट्टे नीलामी के द्वारा जारी किये। नीलामी प्रक्रिया में पट्टे जारी करने से पूर्व पट्टे नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने से यह आवश्यक है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 152 के उपनियम 2 में बताया गया है कि "नीलामी समिति ऐसी भूमि की विद्यमान बाजार कीमत ध्यान में रखेगी। इसी प्रकार नियम 3 में बताया गया है कि "अन्तिम बोली किसी भी स्थिति में उस सूचक दर से कम नहीं होगी, जो क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रयों के आधार पर नियत की गई हो। इसी प्रकार इन नियमों का उल्लंघन करके नीलामी के दिन जो सब रजिस्ट्रार के द्वारा नियत डीएलसी रेट थी उस डीएलसी रेट से कम रेट पर नीलामी करके पट्टा प्राप्तकर्ताओं के साथ षड़यंत्र करके सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर अपने रिश्तेदारों व लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह तमाम कार्यवाही तत्कालीन सरपंच भैरूलाल मण्डा के द्वारा की गई। यहां पर यह भी लिखना उल्लेखनीय होगा कि इस संबंध में सरपंच की शिकायत भी की गई, जिस शिकायत में सरपंच को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया व उस जांच में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त तमाम पट्टे नियम विरूद्ध तरीके से अपने रिश्तेदारों को उनसे पैसे लेकर, उनसे रिश्वत लेकर सरकार के रेवेन्यू का नुकसान करके कम नीलामी रेट पर नीलामी कर पट्टे आवंटित कर दिये गये। जबकि राजस्थान

पंचायतीराज नियम 152 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उस क्षेत्र की डीएलसी दर से कम दर पर नीलामी की ही नहीं जा सकती। यहां यह लिखना उल्लेखित है कि मौके पर वास्तविक रूप से किसी प्रकार की कोई नीलामी हुई ही नहीं। इस नीलामी हेतु नियमों के अन्तर्गत जो अखबार में व पंचायत पर व नीलामी स्थल पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जानी थी, उक्त सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित नहीं की गई। किसी भी प्रकार की कोई कोरम की पूर्ति नहीं की गई। मौके पर नियम 151 के अन्तर्गत नीलामी समिति का गठन करने का भी उल्लेख है, जिस नीलामी समिति में सरपंच, उप सरपंच, सतर्कता समिति का अध्यक्ष, महिला/अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछ्ड़ा वर्ग का एक पंच पंचायत द्वारा मनोनित होगा व पहले से उसका प्रतिनिधित्व न हो, भू राजस्व निरीक्षक या उसकी अनुपस्थिति में पटवारी जिन्हें पर्याप्त समय पर सूचना दे दी गई हो, परन्तु इस नीलामियों में उपरोक्त में से कोई भी सदस्य नहीं थे। मौके पर कोई नीलामी नहीं हुई। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन बीकानेर द्वारा दिनांक 25.11.2011 को अपनी रिपोर्ट क्रमांक सीबी/एडीएम/जांच/2011/2453 में सरपंच भैरूलाल मण्डा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रासीसर के विरूद्ध अन्तर्गत नियम 22(5) राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अन्तर्गत जांच की गई थी, जिस जांच में सरपंच पर आरोप संख्या 01 निम्नानुसार विरचित किया गया- श्री भैरूलाल मण्डा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रासीसर द्वारा सरपंच पद पर रहते हुए रासीसर पुरोहितान ग्राम में खसरा नंबर 548 में से 3 बीघा कृषि भूमि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 89 को आबादी भूमि में परिवर्तित कराकर जारी 21 पट्टे जो शेष अभियुक्तगण के नाम से जारी किये गये हैं। उक्त समय की डीएलसी दर से बहुत कम दर पर नीलाम किये गये। जैसे 1275 वर्गगज के दो गुणा दो भूखण्ड का तीन गुणा तीन फिट में रूपान्तरण करने में 566.66 वर्गगज होते हैं। उस समय वर्ष 2004 की नीलामी दर के हिसाब से 100/-रूपये प्रतिवर्गगज से कुल राशि 56,666.66 रूपये होती है, जबकि उस नीलामी पट्टा संख्या 01 से 05 तक नीलामी राशि 8000/-रूपये से 8400/-रूपये के बीच किये गये, जो उस समय की बाजार दर के सांतवे हिस्से के बराबर है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 152 के बिन्दू संख्या 4 व 5 के अनुसार नीलामी किसी भी कीमत पर उस क्षेत्र के उप पंजीयक द्वारा नियत दर से कम नहीं की जायेगी। अगर इससे नीचे की दर से नीलामी होती है तो ग्राम पंचायत द्वारा इस बोली को अन्तिम रूप नहीं दिया जायेगा। इस आरोप में सरपंच श्री भैरूलाल मण्डा को दोषी पाया गया और यह माना गया कि सरपंच भैरूलाल मण्डा ने शेष अभियुक्तगण के साथ मिलकर सरकार को लाखों रूपये की राजस्व की हानि पहुंचाई, निलामी नियम 152 के बिन्दू संख्या 4 व 5 का उल्लंघन करके की गई। इस प्रकार उक्त प्रकरण में जारी किये गये 21 पट्टे सरकार को लाखों रूपये का नुकसान पहुंचाकर सरपंच व लाभार्थी पट्टा प्राप्तकर्ताओं को लाभ पहुंचाकर हानि की गई। 3 यह कि उक्त सरपंच ने नीलामी से पूर्व डोडी पीटकर या माईक द्वारा या अखबार में या गांव में किसी भी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नहीं की। ताकि नीलामी के बारे में आमजन को जानकारी हो सके व 21 में से 19 पट्टे अपने रिश्तेदारों को वितरित कर दिया। सरपंच रहते हुए अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए उक्त नीलामी की गई। 4 यह कि उक्त सरपंच भैरूलाल मण्डा के द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाथ बिश्नोई व पट्टा संख्या 17 मांगीलाल पुत्र श्री भागीरथ बिश्नोई के नाम जारी किया जाना उल्लेखित किया गया है तथा नीलामी सीट पर दोनों सहीराम व मांगीलाल के हस्ताक्षर फर्जी है, कूटरचित हैं। इस प्रकार सरपंच से स्वयं ही अप्रत्यक्ष रूप अपने नाम पट्टे जारी कर लिये। 5 यह कि इस संबंध में जब नीलामी की गई तब नीलामी के संबंध में तत्कालीन ग्राम सेवक जयप्रकाश दूबे इस नियम विरूद्ध की जा रही नीलामी का बहिष्कार किया था व नीलामी नियम 148 व 143 के नियमों को उल्लंघन कर होना बताया था व डीएलसी दर से नीलामी ना होने के कारण ग्राम सेवक ने नीलामी में हिस्सा भी नहीं लिया था व ग्राम सेवक ने आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी कि उक्त नीलामी नियमों की अवहेलना होने के कारण ग्राम सेवक ने हस्ताक्षर भी नहीं करे। उक्त नीलामी डीएलसी रेट से कम पर हुई थी, जिस कारण सरपंच व ग्राम पंचायत को इन पट्टों को अनुमोदन करने का, नीलामी की पुष्टि करने का भी कोई अधिकार नहीं था, जो भी नियम विरूद्ध तरीके से उन्होंने की है। इस प्रकार सरपंच भैरूलाल मण्डा व शेष पट्टा प्राप्तकर्ता लाभार्थियों द्वारा नियमों व कानून का उल्लंघन कर घोर अनियमितता बरतते हुए सरकार को प्रत्येक पट्टे पर 50-50 हजार का नुकसान पहुंचाकर अपने रिश्तेदारों को नीलाम की गई, जिसके द्वारा प्रार्थीगण के द्वारा प्रथम सूचना दर्ज करने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ ग्राम सेवक के बयानों की प्रति व अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन के द्वारा की गई जांच की प्रति भेजी जा रही है। सरपंच भैरूलाल मण्डा वर्तमान में सरपंच पद पर भी नहीं है, इस कारण किसी अभियोजन स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं है। शेष अभियुक्तगण लोकसेवक नहीं हैं। सरपंच भैरूलाल मण्डा ने लोकसेवक के पद पर रहते हुए सरपंच के पद पर रहते हुए अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं करा, स्वयं ने सदोष लाभ व अन्य पट्टे प्राप्तकर्ता को भी सदोष लाभ पहुंचाया व सरकार को हानि पहुंचाई जो तमाम कार्यवाही इनके द्वारा बेईमानीपूर्वक आशय से की गई। 6 यह कि उपरोक्त अभियुक्तगण में से कोई भी वर्तमान में लोकसेवक के पद पर कायम नहीं है, सरपंच अभियुक्त संख्या 01 भैरूलाल मण्डा भी वर्तमान में सरपंच के पद पर नहीं है। इसलिए इनके विरूद्ध इस्तगासा की सुनवाई करने के लिए किसी भी प्रकार की अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। उक्त नीलामी भी बीकानेर जिले में की गई, इस कारण श्रीमान् को यह इस्तगासा सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 7 यह कि मुलजिमान के विरूद्ध प्रार्थी/परिवादी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर चौकी बीकानेर व श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, झालाना डूंगरी जयपुर को जरिए

रजिस्ट्रर्ड डाक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित किया लेकिन श्रीमान् पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर चौकी बीकानेर व श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो झालाना डूंगरी जयपुर द्वारा अभियुक्तगत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के कारण परिवादीगण को श्रीमान् के समक्ष यह इस्तगासा प्रस्तुत करना पड़ा है। 8 यह है कि इस्तगासा पूर्ण कोर्टफीस पर श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन है कि इस्तगासा की जांच कर धारा 156(3) सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दर्ज करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालाना डूंगरी रोड़ जयपुर को भेजा जावे। दिनांक 05.04.2016 प्रार्थीगण 1. पूर्णाराम पुत्र श्री भोमाराम, जाति मेघवाल, उम्र 60 वर्ष, निवासी गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 2. श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामूराम, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में प्रस्तुत उक्त तथ्यों का इस्तगासा संख्या 01/16 दिनांक 08.08.2016 पूर्णाराम बनाम भैंरूलाल मण्डा व अन्य माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2016 द्वारा जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर पर प्राप्त हुआ। उक्त इस्तगासा पर ब्यूरो द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 01/2017 दिनांक 18.01.2017 पंजीबद्ध कर जांच की गई। जांच के दौरान प्राप्त किये गये मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों से पाया गया कि जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश क्रमांक 1167-71 दिनांक 21.02.02 द्वारा शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.6(61) राज/ग्रुप-3/2002 दिनांक 08.02.2002 की पालना में राजस्व गांव रासीसर पुरोहितान तहसील नोखा स्थित खसरा नं. 545 व 548 रकबा 0.23 व 0.53 हेक्टर किस्म गे.मु. ओरण में से 0.76 हेक्टर भूमि की किस्म खारिज कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (17) राज./ग्रुप-3/68/ दिनांक 06.12.88 के अन्तर्गत ग्राम की आबादी हेतु ग्राम पंचायत रासीसर को निःशुल्क आवंटित की गई। तत्कालीन श्री भैंरूलाल मण्डा द्वारा उक्त भूमि का नक्शा तैयार कर उक्त भूमि के अलग-अलग साईज के कुल 21 भूखण्ड काटे गये। उक्त 21 भूखण्डों की निलामी की कार्यवाही के लिए ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया तथा ग्राम पंचायत की सहमति से सरपंच की अध्यक्षता में 4 सदस्य निलामी कमेटी गठित की गई। तत्पश्चात उक्त 21 भूखण्डों की मौका स्थल पर दिनांक 01.06.2004 से तीन दिन तक चलने वाली प्रस्तावित निलामी बाबत सूचना नोटिस निकाल कर ग्राम पंचायत व गांव के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर सभी ग्राम वासियों को सूचित किया गया। दिनांक 01.06.2004 से 03.06.2004 तक ग्राम पंचायत द्वारा उक्त 21 भूखण्डों को खुली निलामी के द्वारा गांव के सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले व्यक्तियों को विक्रय किया गया। सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति से मौके पर ही बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करवा ली गई थी तथा शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करवाने के बाद ग्राम सभा में प्रस्ताव रखकर ग्राम सभा की सहमति से सम्बंधित क्रेता के नाम पट्टा जारी किया गया। उक्त 21 भूखण्डों के निलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही तत्कालीन सरपंच श्री भैंरूलाल मण्डा द्वारा की गई। उक्त निलामी कार्यवाही से सम्बंधित ग्राम पंचायत रासीसर से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार उक्त निलामी कार्यवाही पंचायती राज के किस अधिनियम/नियम के तहत सरपंच द्वारा की गई, के सम्बंध में कहीं कोई विवरण अंकित नहीं है। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 156 तक में आबादी भूमि विक्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। नियम 141 के अनुसार पंचायत द्वार भूमि का विक्रय नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। नियम 151 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थावर सम्पति की सभी नीलामी एक समिति द्वारा किये जायेंगे। नियम 152 बाजार कीमत - (1) यह सुनिश्चित करना नीलामी समिति का कर्तव्य होगा कि बोली लगाने वालों के बीच स्वतंत्र और उचित प्रतियोगिता हो। (2) नीलामी समिति ऐसी भूमि की विद्यमान बाजार कीमत का ध्यान रखेगी। (3) अन्तिम बोली किसी भी स्थिति में उस सूचक दर से कम नहीं होगी जो क्षेत्र में उप रजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रय के आधार पर नियत की गयी है। (4) विकास अधिकारी प्रत्येक गांव के लिए ऐसी सूचक दरें उप रजिस्ट्रार के कार्यालय से अप्रेल मास में अभिप्राप्त करेगा और सम्बंधित पंचायत को सूचित करेगा। (5) बोलियां ऐसी सूचक दरों से प्रारम्भ होगी जो उप नियम (4) के अधीन विकास अधिकारी द्वारा सूचित की जाए और सूचक दरें बाजार कीमत के अनुसार होगी जिनमें नीचे किसी भी विक्रय को पंचायत द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जायेगा। प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के कुल 21 भूखण्डों को नीलामी समिति द्वारा नीलाम कर विक्रय किया गया लेकिन तत्कालीन सरपंच श्री भैरूलाल मण्डा की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति द्वारा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 152 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। पंचायती राज नियम 1996 के नियम 152 के उपनियम 3 के अनुसार अन्तिम बोली किसी भी स्थिति में उस सूचक दर से कम नहीं होगी जो क्षेत्र में उप रजिस्ट्रार द्वारा स्टाम्प शुल्क के प्रयोजनार्थ भूमियों के पिछले विक्रय के आधार पर नियत की गयी है। ग्राम पंचायत की नीलामी समिति द्वारा उक्त नियम की पालना नहीं करने के कारण अर्थात उक्त 21 भूखण्ड डी.एल.सी. दर से कम दर पर विक्रय करने के कारण ग्राम पंचायत को राजस्व हानि हुई। ग्राम पंचायत द्वारा नीलामी कार्यवाही के द्वारा विक्रय किये गये 21 भूखण्डों के डी.एल.सी. दर से कम पर विक्रय करने से हुई राजस्व हानि का विवरण निम्न प्रकार है - पट्टा संख्या 01 श्री रामकिशन पुत्र श्री पतराम बिश्नोई क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 8400/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 90767/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 02 श्री रामकिशन पुत्र श्री पतराम बिश्नोई क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि

99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 8200/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 90967/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 03 श्री मदनलाल पुत्र श्री पतराम बिश्नोई क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 8000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 91167/-रूपये की हानि कारित की गई । पट्टा संख्या 04 श्री भंवरलाल पुत्र श्री मामराज बिश्नोई क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 8300/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 90867/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 05 श्री सुभाष बिश्नोई पुत्र श्री हजारीराम क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 8100/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 91067/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 06 श्री भंवरलाल सुथार पुत्र श्री भीखाराम क्षेत्रफल 287.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 50244/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4100/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 46144/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 07 श्री सुरजाराम सुथार पुत्र श्री भीखाराम क्षेत्रफल 287.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 50244/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4100/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 46144/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 08 श्री सहीराम बिश्नोई पुत्र श्री हरनामराम क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 7200/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 91967/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 09 श्री श्रीराम बिश्नोई पुत्र श्री रामस्वरूप क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 7200/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 91967/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 10 श्री हेतराम बिश्नोई पुत्र श्री मामराज, क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 7000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 92167/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 11 श्री अमानाराम कुम्हार पुत्र श्री सुगनाराम क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 6800/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 92367/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 12 श्री चून्नीलल बिश्नोई पुत्र श्री भागीरथ क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 6800/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 92367/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 13 श्री सम्पतलाल बिश्नोई पुत्र श्री शंकरलाल क्षेत्रफल 566.67 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 99167/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 6800/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 92367/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 14 श्री शिवकरण बिश्नोई पुत्र श्री बनवारीलाल क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4400/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50044/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 15 श्री भागीरथ बिश्नोई पुत्र श्री गुलाराम क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4200/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50244/-रूपये की हानि कारित की गई । पट्टा संख्या 16 श्री मदनलाल बिश्नोई पुत्र श्री नानूराम क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50444/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 17 श्री मांगीलाल बिश्नोई पुत्र श्री भागीरथराम क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50444/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 18 श्री ईमीलाल बिश्नोई पुत्र श्री रायचन्द क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50444/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 19 श्री जगदीश बिश्नोई पुत्र श्री बीरबलराम क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50444/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 20 श्री ओमप्रकाश बिश्नोई पुत्र श्री बीरबलराम क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50444/-रूपये की हानि कारित की गई। पट्टा संख्या 21 श्री भंवरलाल बिश्नोई पुत्र श्री जोराराम क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज जिसकी डीएलसी 175/-रूपये प्रति वर्गगज से राशि 54444/-रूपये राशि बनती थी, जिसके 4000/-रूपये ही जमा करवाये जाकर 50444/-रूपये की हानि कारित की गई। इस प्रकार उक्त 21 पट्टों के जरिए राजकोष को कुल 15,03,277/-रूपये की हानि कारित की गई। परिवादीगण द्वारा परिवाद में अंकित तथ्यों की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा वर्ष 2011 में संभागीय आयुक्त बीकानेर से की गई थी जिसकी जांच संभागीय आयुक्त बीकानेर के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर द्वारा की गई थी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 2453 दिनांक 25.11.2011 के जरिये संभागीय आयुक्त बीकानेर को प्रेषित जांच रिपोर्ट में भी तत्कालीन सरपंच श्री भैरूलाल मण्डा को दोषी माना गया था। संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर बीकानेर की जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए तत्कालीन सरपंच श्री भैरूलाल मण्डा को दोषी मानते हुए राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके जरिये कार्यालय आदेश 1774-1783 दिनांक 23.07.12 श्री भैरूलाल मण्डा, पूर्व सरपंच रासीसर को पंचायती राज अधिनियम

1994 की धारा 38 (3) के तहत निर्णय की तारीख से आगामी 5 वर्ष की समयावधि तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया गया। इस प्रकार श्री भैंरूलाल मण्डा तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थीगण से आपसी मिलीभगत कर षड़यंत्र पूर्वक नियम विरूद्ध डीएलसी दर से कम राशि प्राप्त कर पट्टे जारी कर राजकोष को सदोष हानि कारित कर स्वीय लाभ प्राप्त किया है तथा लाभार्थीगण को अनचित लाभ पहुंचाया है। लाभार्थी श्री सुरजाराम पुत्र श्री भीखाराम सुथार, जाति सुथार, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर(फौत) हो चुका है। प्राथमिक जांच की जांच रिपोर्ट माननीय सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में प्रस्तुत किये जाने पर माननीय सेशन न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.06.2022 से प्राथमिकी दर्ज कर उपयुक्त अनुसंधान किये जाने के आदेश फरमाये गये। अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में उक्त प्राथमिक जांच में आरोपी श्री भैरूलाल मण्डा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री रामकिशन पुत्र श्री पतराम बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री मदनलाल पुत्र श्री पतराम बिश्नोई, निवासी तालरिया बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री भंवरलाल पुत्र श्री मामराज बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री सुभाष पुत्र श्री हजारीराम बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम सुथार, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री श्रीराम पुत्र श्री रामस्वरूप बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री हेतराम पुत्र श्री मामराज बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री अमानाराम पुत्र श्री सुगनाराम उर्फ छगनाराम कुम्हार, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री चुन्नीराम पुत्र श्री भागीरथ बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री सम्पतलाल पुत्र श्री शंकरलाल बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री शिवकरण पुत्र श्री बनवारी बिश्नोई, निवासी गांव पिथरासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री भागीरथ पुत्र श्री गुलाराम बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री मदनलाल पुत्र श्री नानूराम बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री मांगीलाल पुत्र श्री भागीरथ बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री ईमीलाल पुत्र श्री रामचन्द्र बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री जगदीश पुत्र श्री बीरबलराम, निवासी पुरोहितों का बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर व श्री ओमप्रकश पुत्र श्री बीरबलराम, निवासी गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर, श्री भंवरलाल पुत्र श्री जोराराम बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भादसं में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (महावीर प्रसाद शर्मा)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, बीकानेर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, बीकानेर , ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 120 बी भा0द0सं0 में आरोपीगण1श्री भेरूलाल मण्डा पुत्र श्री पतराम मंडा, जाति बिश्नोई, उम्र 65 वर्ष, निवासी बड़ा बास रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 2 श्री रामकिशन पुत्र श्री पतराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 61 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 3 श्री मदनलाल पुत्र श्री पतराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 40 वर्ष, निवासी तालरिया बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 4 श्री भंवरलाल पुत्र श्री मामराज मंडा, जाति बिश्नोई, उम्र 72 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 5 श्री सुभाष पुत्र श्री हजारीराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 44 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 6 श्री भंवरलाल पुत्र श्री भीखाराम सुथार, जाति सुथार, उम्र 74 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 7 श्री सहीराम पुत्र श्री हरनाम, जाति बिश्नोई, उम्र 67 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 8 श्री श्रीराम पुत्र श्री रामस्वरूप मंडा, जाति बिश्नोई, उम्र 49 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 9 श्री हेतराम पुत्र श्री मामराज बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 67 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 10 श्री अमानाराम पुत्र श्री सुगनाराम उर्फ छगनाराम कुम्हार, उम्र 71 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 11 श्री चुन्नीराम पुत्र श्री भागीरथ बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 57 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 12 श्री सम्पतलाल पुत्र श्री शंकरलाल बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 46 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 13 श्री शिवकरण पुत्र श्री बनवारी बिश्नोई, जाति बिश्नोई, निवासी गांव पिथरासर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 14 श्री भागीरथ पुत्र श्री गुलाराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 15 श्री

मदनलाल पुत्र श्री नानूराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 16 श्री मांगीलाल पुत्र श्री भागीरथ बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 40 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 17 श्री ईमीलाल पुत्र श्री रामचन्द बिश्नोई, जाति बिश्नोई, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 18 श्री जगदीश पुत्र श्री बीरबलराम, जाति बिश्नोई, उम्र 59 वर्ष, निवासी पुरोहितों का बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 19 श्री ओमप्रकश पुत्र श्री बीरबलराम, जाति बिश्नोई, उम्र 65 वर्ष, निवासी गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। 20 श्री भंवरलाल पुत्र श्री जोराराम बिश्नोई, जाति बिश्नोई, उम्र 50 वर्ष, निवासी बड़ा बास, गांव रासीसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर। के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री जय कुमार पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ईन्टे0 बीकानेर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 360 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 484-87 दिनांक 23.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2 आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राजस्थान जयपुर 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** jai kumar nayak **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/05/2024 11:30:42

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1959				
2	Male	1963				
3	Male	1984				
4	Male	1952				
5	Male	1980				
6	Male	1950				
7	Male	1957				
8	Male	1975				
9	Male	1957				
10	Male	1953				
11	Male	1967				
12	Male	1978				
13	Male	1979				
14	Male	1979				
15	Male	1984				
16	Male	1984				
17	Male	1984				
18	Male	1965				
19	Male	1959				
20	Male	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)